न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण संख्या 56 / 24

रजू दिनांकः 07.05.2024

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर।

–सायल

1. पुरूषोत्तम खण्डेलवाल पुत्र मक्खनलाल हि0 1/4 जाति ब्राह्मण सा0 जयपुर खातेदार
2. ब्रजमोहन अग्रवाल पुत्र छुट्टनलाल हि0 3/8 जाति महाजन सा. अलवर खातेदार
3. राकेश कुमार पुत्र ब्रजमोहन हि0 3/8 जाति ब्राह्मण सा. अलवर खातेदार

– गैरसायलान

पीठासीन अधिकारी–तहसीलदार, रामगढ **निर्णय दिनांक 03.01.2025**

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि हल्का पटवारी बहाला ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम बहाला के आ.ख.न. 2099/1908 रकबा 0.66है0 मुताबिक रिकार्ड खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा किस्म भूमि चाही 2 दर्ज है। वर्णित भूमि में से 0.66है0 पर चार दीवारी कर सड़क डालने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को इस बाबत् भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए की उपधारा 5 सपठित 91 के अर्न्तगत नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील कराने के पश्चात अप्रार्थी ने अपना जवाब शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब मे अंकन किया है कि उक्त आराजी में कच्चा रोड डला हुआ था लेकिन नोटिस प्राप्ति के बाद मेरे द्वारा आराजी में बने रोड को तोड दिया गया है एवं आराजी को कृषि हेतु उपयोग मे लूंगा।

प्रकरण में पटवारी हल्का बहाला से पुनः वर्णित आराजी की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.12.2024, अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर उन पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि के स्वरूप मे जो गैर कानूनी रूप से परिवर्तन किया गया था उसे खुर्द बुर्द करना व वर्तमान मे आराजी खाली होना तथा खेती के उपयोग मे लेने हेतु निवेदन किया है।

अतः न्यायालय प्रकरण को निस्तारित कर ड्रॉप करने के आदेश इस शर्ताधीन जारी करती है कि भविष्य मे अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्य मे किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 03.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

तहसीलदार
रामगढ़

तहसीलदार
रामगढ़ (अलवर)